ऋतिका

(संस्कृतस्य केन्द्रिकपाठ्यक्रमे एकादाक्षायै पाठ्यपुस्तकम्)

(प्रथमः भागः)

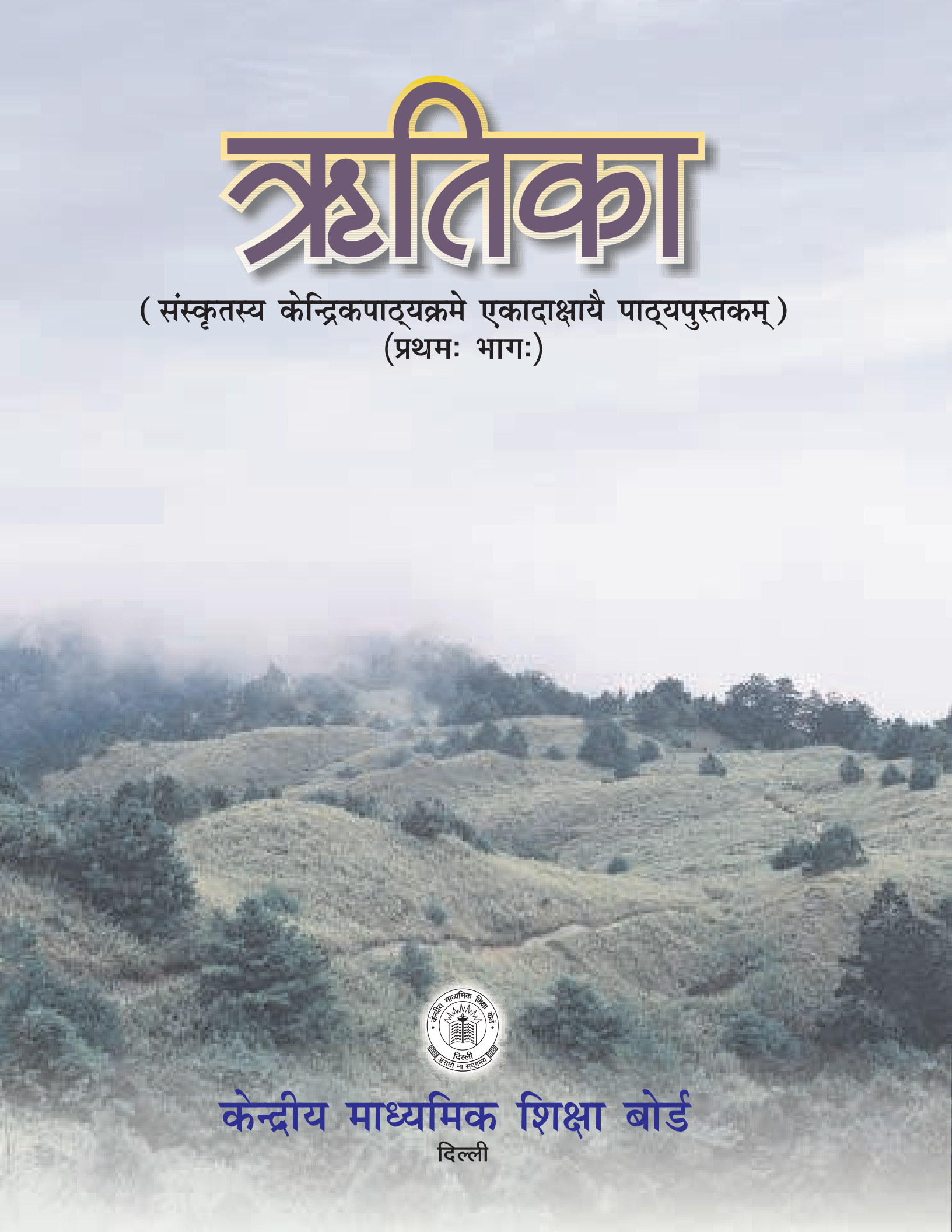

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

दिल्ली

ऋतिका

(संस्कृतस्य केन्द्रिकपाठ्यक्रमे एकादशकक्षायै पाठ्यपुस्तकम्)

(प्रथमः भागः)

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली

पहला संस्करण

जनवरी 2005

प्रतियां : 6000

© CBSE

मूल्य : रु. 55.00

प्रकाशक : **सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,**
2, सामुदायिक केन्द्र, शिक्षा केन्द्र, दिल्ली-110092

अक्षर संयोजक : राईट इम्प्रैशनस, दिल्ली-110006

मुद्रक :

पुरोवाक्

केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्षासङ्घटनेन वरिष्ठमाध्यमिककक्षासु अध्यापनार्थं द्विविधः भाषापाठ्यक्रमः निर्धारितः केन्द्रिकपाठ्यक्रमः ऐच्छिकपाठ्यक्रमश्च । उभयोरेव पाठ्यक्रमयोः उद्देश्यानि भिन्नानि सन्ति । केन्द्रिक-पाठ्यक्रमे भाषायाः भाषिकतत्त्वानाम् अभ्यासः चतुर्षु च कौशलेषु नैपुण्यम् अधिकं महत्त्वपूर्णं भवति । ऐच्छिकपाठ्यक्रमे साहित्यशिक्षणं प्रधानं भवति । केन्द्रिकपाठ्यक्रमस्य उद्देश्यं संलक्ष्य 'ऋतिका' इति पाठ्यपुस्तकस्य 'प्रथमो भागः' एकादशकक्षायै निर्मितः । अस्य पुस्तकस्य वैशिष्ट्यम् अधोलिखितमस्ति-

- पाठानाम् अवबोधनार्थं पुस्तके एव श्लोकानाम् अन्वयाः भावार्थाः च स्पष्टीकृताः ।
- रवीन्द्रनाथठाकुरमहाभागानां गीताञ्जलिकाव्यपुस्तकात् एकं गीतं समुद्धृतम् ।
- चरित्रनिर्माणार्थम् उपयोगिमूल्यानि अधिकृत्य जीवनवृत्तम्, उपदेशाः, नाट्यांशाः च सङ्कलिताः उद्धृताः वा ।
- अस्माकं देशस्य संविधानस्य आधारभूतानि 'स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्वं, न्यायः' इति चत्वारि मूल्यानि अधिकृत्य सुभाषिताः अत्र समाहिताः ।
- भाषिकतत्त्वानाम् अभ्यासाय अत्र प्रचुराः अभ्यासाः प्रदत्ताः ।
- पाठविकासान्तर्गते प्रतिपाठम् अधिकृत्य काव्यपरिचयः, लेखकपरिचयः, विशिष्टाः टिप्पण्यः समानान्तरसूक्तिप्रयोगाः च प्रदत्ताः ।

एतस्य पुस्तकस्य निर्माणे यैः विद्वज्जनैः येन केन प्रकारेण साहाय्यं कृतं तेभ्यः सर्वेभ्यः सङ्घटनपक्षतः हार्दिकीं कृतज्ञतां ज्ञापयामः ।

संस्कृतभाषाशिक्षणे परियोजनारूपेण महत्त्वपूर्णं योगदानं कुर्वतां शैक्षिकनिदेशकानां जी. बालासुब्रह्मण्यन् महोदयानां कृते, उपशिक्षाधिकारीपदम् अलङ्कु.र्वाणानां डा. साधनापाराशरमहोदयानां कृते अपि धन्यवाद-ज्ञापनं क्रियते ।

शिक्षायाः क्षेत्रे न कोऽपि अन्तिमः शब्दः भवति । सर्वत्र संशोधनस्य संस्करणस्य अपेक्षा तु वर्तते एव । अतः परिमार्जनाय प्रस्तावाः स्वागतार्हाः ।

अशोक गांगुली
अध्यक्षः
केन्द्रीय-माध्यमिक-शिक्षा-बोर्ड
दिल्ली

कृतज्ञताज्ञापनम्

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा-बोर्ड-परामर्श-समितिः

श्री अशोक गाङ्गली, अध्यक्षः, के. मा. शि. बोर्ड, नई दिल्ली

श्री जी. बालासुब्रह्मण्यन्, निदेशकः (शैक्षिक) के. मा. शि. बोर्ड, नई दिल्ली

संस्कृतपरामर्शसमितिः- सदस्याः

प्रो. वाचस्पतिः उपाध्यायः

प्रो. वी. कुटुम्बशास्त्री

डा. नोदनाथः मिश्रः

श्री चमूकृष्णः शास्त्री

श्री चांदकिरणः सलूजा

पाठ्यसामग्रीनिर्माणसमितिः

- श्री चांदकिरण सलूजा, प्राध्यापकः, शिक्षाविभागः दिल्ली वि.वि. (संयोजकः)
- श्रीमती शशिप्रभागोयल, पूर्वप्रवाचिका, रा. शै. अनु. एवं प्रशिक्षणपरिषद्, दिल्ली
- श्रीमती सन्तोष कोहली, सेवानिवृत्ता उपप्रधानाचार्या, सर्वोदय-सह-शिक्षा-विद्यालयः, दिल्ली
- श्री ओम् प्रकाश ठाकुर, पूर्वः उपप्रधानाचार्यः, सर्वोदय-सह-शिक्षा-विद्यालयः, दिल्ली
- डा. भास्करानन्द पाण्डेयः उपप्रधानाचार्यः, राजकीय-वरिष्ठ-माध्यमिक-बालविद्यालयः, मुण्डका, दिल्ली
- श्रीमती मीना बंसल, उपप्रधानाचार्या, रामजस-गर्ल्ज-व.-मा.-विद्यालयः, दरियागंजः, नई दिल्ली
- श्रीमती अनीता शर्मा, संस्कृतविभागाध्यक्षा, विवेकानन्द-विद्यालयः, आनन्द-विहारः, दिल्ली
- श्रीमती आदर्श आहूजा, संस्कृत-अध्यापिका, दिल्ली-पब्लिक-विद्यालयः, मथुरा-रोडः, नई दिल्ली

प्रायोजना - अधिकारी

डा. साधना पाराशर, उप-शिक्षा-अधिकारी, केन्द्रीय-माध्यमिक-शिक्षा-बोर्ड, नई दिल्ली

विषयानुक्रमणिका

क्रमांङ्कः	पाठाः	पृष्ठसंख्या
1.	मम मित्रं भवन्तु	1
2.	सर्वे भवन्तु सुखिनः	11
3.	शीलम् एतत् प्रशस्यते	22
4.	यशोधनानां हि यशो गरीयः	31
5.	मानसं मम विकसितं कुरु	39
6.	क्षमावीरो विजयते	48
7.	महाजनो येन गतः स पन्थाः	54
8.	गुरूपदेशः अजलं स्नानम्	62
	पाठानुसारं शब्दार्थाः	70

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1] [सम्पूर्ण प्रभूत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में,

व्यक्ति की गरिमा और [2] [राष्ट्र की एकता
और अखण्डता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बरए 1994 ई॰ को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधि नियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977) से ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियमए 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

भाग 4 क

मूल कर्त्तव्य

51 क. मूल कर्त्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र गान का आदर करें:

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें;

(घ) देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखें;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाईयों को छू लें ।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a[1] **[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2] [unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

1. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

Chapter IV A

FUNDAMENTAL DUTIES

ARTICLE 51 A

Fundamental Duties - It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement.